संशोधित पत्र

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1274 / 14–1 दिनांक, एटा, दिसम्बर 30 ,2017

अधीशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
एटा।

विषयः एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में कि0मी0 0 से 20 तक 22.80 है0 संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक–1602/एटा– कासगंज/21109/2016 दिनांक 14.10.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1225/14–1 दिनांक 22.12.2017

प्रसनगत प्रकरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/03/32/2017/एफ0 सी0/680 दिनांक 12.12.2017 द्वारा 1 से 9 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है. दी गई शर्तों के क्रम में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है।

1. शर्त संख्या–1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 रू0 2,63,15,272.00 (दो करोड़ तिरेसठ लाख पन्द्रह हजार दो सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।
2. शर्त संख्या–2 (a)– एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1,42,72,800.00 (एक करोड़ बियालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

   2(b)– जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई रसीद (मदवार विवरण अंकित हो) प्रस्तुत करें।

   3(C)– यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा किये जाने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. शर्त संख्या– 4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों ओर व मध्यम में (यदि भूमि उपलब्ध हो) वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
4. शर्त संख्या– 5– मक डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रारूप में 4 प्रतियों मे प्रेषित की जाये।
5. शर्त संख्या– 8–वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।

संलग्नक– सी0ए0 वृक्षारोपण की स्थलवार लागत सारांश विवरण।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0लखनऊ।
2. वन संरक्षक,अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

(संशोधित पत्र)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कासगंज

पत्रांक 1174 /14–1 दिनांक, कासगंज, 24/01/18

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
कासगंज।

विषयः– एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु कासगंज में किमी0 21.00 से 24.300 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.50 तक 24.008 है0 संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 1602/एटा–कासगंज /21109/2016 दिनांक 14.12.2017

****

प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ के पत्र सं0 8बी0/यू0पी/06/32/2017/एफ0सी0/680 दिनांक 12.12.2017 एवं प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज का पत्रांक 1115/14–1 दि0 22.12.2017 द्वारा 1 से 8 शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, दी गई शर्तो के क्रम में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है।

1. **शर्त संख्या 1** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 रू0 24072000.00 (दो करोड़ चालीस लाख बहात्तर हजार मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल से जनरेट ई–चालन के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।
2. **शर्त संख्या 2 (a)**–NPV की धनराशि मु0 रू0 15029008.00 (एक करोड़ पचास लाख उन्तीस हजार आठ मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल से जनरेट ई–चालन के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।
   2(b)–जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद (मदवार विवरण अंकित हो) प्रस्तुत करें।
   2(c)–यदि **NPV** की दर में बढोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा किये जाने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. **शर्त संख्या 4**– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों ओर व मध्यम में (यदि भूमि उपलब्ध हो) वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
4. **शर्त संख्या 5**– मक डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रारूप में 4 प्रतियों में प्रेषित की जाये।
5. **शर्त संख्या 6**– वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त जमा धनराशि की ऑनलाईन पेमेण्ट हिस्ट्री की प्रति व बचन वद्धता इस कार्यालय में उपलब्ध करायें। इसके उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

24/1/2018

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कासगंज

पत्रांक /14–1 दिनांक, कासगंज,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कासगंज

F:\saurabh 22.07.2011\AE - 3 S.P. singh\04 Lane Etah Kasganj\Letter 04 Lane Ksj

एटा जनपद में एटा–कासगंज व बरेली–मथुरा मार्ग की हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित भूमि के बदले आगरा वन प्रभाग व हाथरस वन प्रभाग की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण की लागत का सांराश–

क0सं0	प्रभाग का नाम	स्थल का नाम	दर प्रति हे0	कासगंज वन प्रभाग की प्रभावित वनभूमि से सम्बन्धित		एटा वन प्रभाग की प्रभावित वन भूमि से सम्बन्धित	
				क्षेत्रफल हे0 में	धनराशि लाख में	क्षेत्रफल हे0 में	धनराशि लाख में
1	हाथरस	वहादुर पुर वन ब्लाक	395780	10हे0	39.578	—	—
2	हाथरस	मनौरा वन ब्लाक	395780	10हे0	39.578	—	—
3	हाथरस	बख्तर खास वन ब्लाक	395780	10हे0	39.578	—	—
4	आगरा	फरेरा वन ब्लॉक	54580	10हे0	54.58	—	—
5	आगरा	बड़ा गांव वन ब्लॉक	545800	—	—	10.00हे0	54.58
6	आगरा	पिढ़ौरा वन ब्लॉक सं0 4	840909	8.016हे0	67.40	2.984	25.09
7	आगरा	पिढ़ौरा वन ब्लॉक सं0 1	545800	—	—	10.00हे0	54.58
8	आगरा	पिढ़ौरा वन ब्लॉक सं0 2	545800	—	—	13.616	74.32
9	आगरा	पिढ़ौरा वन ब्लॉक सं0 3	545800	—	—	10.00हे0	54.58
			योग	**48.016**	**240.72**	**46.6**	**263.15**

नोट– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगरा वन प्रभाग में बटेश्वर वन ब्लॉक में 10 हे0 भूमि चयनित की गई थी जिसमें वनावरण दिखाई देने पर भारत सरकार मध्यक्षेत्र कार्यालय द्वारा अन्य क्षेत्र चयन करने हेतु निर्देशित करने पर बटेश्वर वन ब्लॉक के स्थान पर पिढ़ौरा वन ब्लॉक भाग 4 में 11 हे0 चयनित की गई है। जिसमें एटा जनपद से सम्बन्धित 1.984 व कासगंज जनपद से सम्बन्धित 8.016 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यक है। एक हे0 अतिरिक्त भूमि को एटा जनपद में सम्मिलित किया गया है जिसे कुल क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का क्षेत्रफल 46.6 हे0 है। उक्त स्थल परिवर्तन व वित्तीय प्राक्कलन की ऑनलाइन फीडिंग कासगंज वन प्रभाग द्वारा की गई है।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।